Indian Constitution

भारतीय संविधान की आलोचना

- आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान उधार लिया हुआ है इसके उपबन्ध मौलिक नहीं है।
- आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी है।
- एन० श्री निवासन के अनुसार - भारत का संविधान भाषाई और वास्तविक दोनों दृष्टिकोणों से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के करीब है।
- सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार - भारतीय संविधान की उत्पत्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों से हुई है।
- पी० आर० देशमुख के अनुसार - भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का ही प्रतिरूप है सिर्फ इसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है।
- आलोचकों के अनुसार - भारतीय संविधान अभारतीय है क्योंकि इससे विदेशी प्रकृति ध्वनित होता है।
- के हनुमन्थैया के शब्दों में - हम लोगों ने वीणा या सितार की संगीत चाही लेकिन हमें इंगलिश बैण्ड की music प्राप्त हुई।
- आलोचकों के अनुसार - भारतीय संविधान गाँधीवादी सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।
- आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान का आकार बहुत विशाल है
- आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है।
- सर आइवर जेनिंग्स ने इसे 'वकीलों का स्वर्ग' कहा है।

Scanned By Scanner Go

Scanned By Scanner Go

- अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल्स आस्ट्रेलिया में 128, चाइना में 138 तथा कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं।
- भारतीय शासन अधिनियम 1935 के 250 में 97 आर्टिकल्स वर्तमान संविधान में जोड़े गए।

Dr. Rama Kant pandey
S.R.A.P college
Bara Chakiya

pol-sc (Hons)
part-II
paper-I.

Scanned By Scanner Go

Scanned By Scanner Go